संख्याः1460 ई–1/तेरह–2020–18/17(टी.सी.)

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी,
अपर मुख्य सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ.प्र., प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग–1

लखनऊः दिनांकः 14 अगस्त, 2020

विषयः–विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही में नामित जॉच अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत जॉच आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के प्राविधानों के अन्तर्गत सरकारी सेवकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किये जाने तथा संस्थित कार्यवाहियों के अन्तर्गत नामित जॉच अधिकारी द्वारा नियम–7 में विनिर्दिष्ट व्यवस्थानुसार जॉच की कार्यवाही पूर्ण करने एंवं नियम–8 के अधीन अनुशासनिक प्राधिकारी को सुस्पष्ट जॉच निष्कर्ष सहित जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है।

2. शासन स्तर पर यह अनुभव किया जा रहा हैं कि विभागीय अनुशासनिक कार्यवाहियों के अन्तर्गत नामित जॉच अधिकारी द्वारा, अपचारी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध लगाये आरोपों एवं आरोपों के समर्थन में संलग्न किये गये अभिलेखीय साक्ष्यों व सुसंगत नियमों आदि के आलोक में प्रस्तुत की जा रही जॉच रिपोर्ट में सम्यक विवेचना के आधार पर किये जा रहे निष्कर्ष में **"आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित"** की अभ्युक्ति दी जा रही है, जो विधिक रूप से सही नहीं है तथा इसे अपचारी के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की पुष्टि/प्रमाणित होने के बिन्दु पर स्पष्ट रूप से विनिश्चय/मत स्थिर किये जाने में अनुशासनिक प्राधिकारी के स्तर पर कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

3. उल्लेखनीय है कि सामान्यतया जॉच अधिकारी की रिपोर्ट से यह स्पष्ट रूप से अवधारित होना चाहिए कि अपचारी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत लगाये गये आरोपों के सन्दर्भ में की गयी जॉच के उपरान्त, आरोप अपचारी पर प्रमाणित होते हैं या प्रमाणित नहीं होते हैं। किसी भी स्थिति में कोई भी आरोप अपचारी पर या तो प्रमाणित होंगे अथवा प्रमाणित नहीं होंगे, किन्तु आंशिक रूप से प्रमाणित होने की स्थिति तब तक उत्पन्न नहीं होगी जब तक कि किसी आरोप विशेष में एक से अधिक भिन्न–भिन्न तथ्यों का उल्लेख न किया गया हो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के प्राविधानों के अन्तर्गत आरोप या तो प्रमाणित होने या प्रमाणित नहीं होने के तथ्य उल्लिखित हैं एवं उक्त तथ्य को ही, विधिक रूप से संज्ञान में लिया जा सकता है। अतः आरोपों की जॉच में, आरोप को आंशिक रूप से

प्रमाणित पाये जाने की स्थिति उल्लिखित करने को नियमानुसार ग्राहयता की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है।

4. अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में किसी सरकारी सेवक के विरूद्ध संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत अपचारी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में नामित जॉच अधिकारी के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार जॉच की कार्यवाही, आरोपों के समर्थन में संलग्न अभिलेखीय साक्ष्यों, तथ्यों व सुसंगत नियमों के आलोक में **सम्यक परीक्षण करके, लगाये गये आरोपों के प्रमाणित होने अथवा प्रमाणित नहीं होने की अभ्युक्ति सहित जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय** तथा किसी भी दशा में जॉच रिपोर्ट में अपचारी पर लगाये गये आरोपों के **"आंशिक रूप से सिद्ध होने"** की अभ्युक्ति अंकित न की जाय। तद्नुसार जॉच अधिकारी के द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष सहित जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय।

अतः कृपया आबकारी विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही में नामित जॉच अधिकारियों को अपने स्तर से यह निर्देशित करने का कष्ट करें कि जॉच अधिकारियों द्वारा उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही जॉच रिपोर्ट अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाय जिससे कि अपचारी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में तथ्यात्मक स्थिति सुस्पष्ट रहे एवं निर्णय लेने में सुगमता हो सके।

भवदीय,

(संजय आर. मूसरेड्डी)
अपर मुख्य सचिव